

न्यायालय नायब तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

मुकदमा
62/2020

किस्म मुकदमा
धारा 91 एल.आर.एक्ट

रज्जु दिनांक
25.06.2020

निर्णय दिनांक
24.07.2020

उनवान सरकार बनाम ओमप्रकाश पिता हरिराम जाति अहीर निवासी सहड़ तहसील बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

-: निर्णय :-

पत्रावली आज पेश हुयी। अतिक्रमी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मामला संक्षिप्त में इस प्रकार है। पटवारी हल्का लाम्बी अहीर ने सम्बत 2077 में इस आशय की रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि ग्राम सहड़ की राजकीय भूमि ख0 न0 209 कुल रकबा 31.50 है0 किस्म गै0 मु0 जोहड़ मे से 0.15 है0 भूमि पर अतिक्रमी ओमप्रकाश पिता हरिराम जाति अहीर निवासी सहड़ ने अवैध रूप से तारबाड़ व जोत लगाकर अवैध रूप से अनाधिकृत रूप से अतिक्रमण किया गया है।

रिपोर्ट पटवारी हल्का से प्राप्त होने पर मामला दर्ज रजिस्टर किया जाकर अतिक्रमी को राजस्थान भू0 राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया जाकर तलब किया गया। नोटिस प्राप्ति पर अतिक्रमी द्वारा उपस्थित होकर नोटिस जबाब पेश किया गया। जो शामिल मिसल किया गया।

पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्य/सबुत का गहनता से मनन किया गया। अतिक्रमी द्वारा किया गया अतिक्रमण जो काबिल नियमन नहीं है। ना ही नियमों के अनुरूप है। अतिक्रमी द्वारा राजकीय भूमि में तारबाड़ व जोत लगाकर अतिक्रमण किया गया है। अतिक्रमण किये जाने के फलस्वरूप अतिक्रमी घोषित किया जाता है व जैर बहस रिपोर्ट पटवारी पर से वेदखल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

अतिक्रमी द्वारा अनाधिकृत रूप से किये गये अवैध रूप से तारबाड़ व जोत लगाकर अतिक्रमण किये जाने के दण्ड स्वरूप शरह लगान 7.90/- का अतिक्रमण शुदा भूमि लगान 1.00 की 50 गुणा जुर्माना राशि 50/- बतौर शास्ति कायम किये जाते हैं।

तहसील राजस्व लेखाकार/भू0 अ0 निरीक्षक/पटवारी हल्का को वास्ते जमा कायमी/वेदखली/वसूली हेतु लिखा जावे। भू0 अ0 निरीक्षक को राजकीय भूमि से अतिक्रमीत भूमि से वारताविक रूप से वेदखल करने हेतु लिखा जावे। पत्रावली बाद तकमील तागील दाखिल दपतर हो तथा नम्बर शुमार से कम होकर दर्ज फैसला हो।

निर्णय आज दिनांक 24.07.2020 को खुले न्यायालय सुनाया में सुनाया गया।

रा.ले. सं. 4 वर्ष 2020 के प.सं. 76 पर 50/- की मांग कायम की गई।

Suman
तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील बुहाना

(लक्ष्मीनारायण यादव)
नायब तहसीलदार बुहाना